

प्रेषक,

रामकरन-11
विशेष न्यायाधीश(आ०व०अधि०),
बांदा।

सेवा में,

उपनिबन्धक मिसलेनियस
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा-

श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय,
बांदा।

विषय-

भवन का निर्माण पूर्ण किये जाने हेतु अपने जीपीएफ खाता संख्या- एल.जे.यू. 23465 से मु०-
6,00,000/- रूपया निष्कासन के संबंध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि मेरे द्वारा भवन निर्माण पूर्ण करने के लिए अपने जीपीएफ खाता संख्या- एल.जे.यू.23465 में से मु०- 6,00,000 रूपया निष्कासन की स्वीकृति हेतु माननीय उच्च न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रेषित किया गया था। श्री अवनीश कुमार जायसवाल उपनिबन्धक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने पत्र संख्या- 27028/IV-2849/ एडमिन दिनांकित 22.11.2019 को वांछित सूचना मांगी गयी थी तत्क्रम में दिनांक 23.01.2020 को वांछित सूचना प्रेषित की गयी थी।


महोदय को यह भी अवगत कराना है कि मैंने भारतीय स्टेट बैंक अम्बेडकरनगर से भवन निर्माण हेतु 20,00,000 / - रूपया के ऋण के लिए आवेदन किया था। जिसमें से मेरे द्वारा मात्र 16,00,000/- रूपया ही निकाला गया था। शेष मु०- 4,00,000/- रूपया की पुनः निकासी का प्रयास किये जाने पर बैंक द्वारा मेरे संज्ञान में यह लाया गया कि समयावधि बीत जाने के कारण उक्त मु० - 4,00,000/- रूपया नहीं दिया जा सकता। मैंने माननीय न्यायालय से अपने भवन निर्माण हेतु मु०-15,00,000/- रूपया अपने जीपीएफ खाते से निकासी हेतु आवेदन किया था जो माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत भी किया गया था। पैसे की कमी तथा सामान की मंहगाई व मजदूरी बढ़ जाने के कारण भवन का निर्माण पूर्ण नहीं हो सका है। इसलिए मेरे जीपीएफ खाता संख्या- एल.जे.यू. 23465 में से मु०- 6,00,000 रूपया निकासी हेतु माननीय न्यायालय से स्वीकृत कराने की कृपा करें।

दिनांक-18.02.2020

Office of the District Judge, Banda
No. 357/18..... Dated 19-02-2020
FORWARDED


District Judge
BANDA
19-02-2020

भवदीय


18/2/2020
(रामकरन-11)

विशेष न्यायाधीश(आ०व०अधि०),
बांदा।